ई-मेल/आनलाइन अपलोड

UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

Phone/Fax No. :- 01363-240614 Email:-eepwdgauchar@rediffmail.com

पत्रांक– 574 /1सी०वन दिनांक 3 /05 /2019

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी
देहरादून

विषयः– **मा०मु०घो० सं० 1471/2015 मे राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में देवल से धानई तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 0.940 है० वन पंचायत भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव। (प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/38601/2019)**

सन्दर्भः– **आपका आनलाइन ई०डी०एस० दिनांक 16.3.2019**

महोदय,

उपरोक्त विषय संदर्भित पत्र के कम मे देवल से धानई तक मोटर मार्ग के वन भूमि प्रस्ताव पर लगाई गई आपत्तियो का निराकरण कर बिन्दुवार आख्या निम्नलिखित है।

क0स0	प्रश्न	उत्तर
1	Short narrative of the project does not give adequate information about the proposal [Online para-A-1(iii) of Part-I].It should give comprehensive details of the project in brief.	Short Narrative of Project संशोधित कर आनलाइन अंकित कर दिया गया है।
2	Instead of justification for locating the project in forest land at para D in part I, only benefit of road is mentioned.	Justification संशोधित कर प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग गोपेश्वर से सत्यापित कर part I के para- D (i) आनलाइन अपलोड कर दिया गया है। **संलग्न 1– Justification For Forest land का प्रपत्र मूल में।**
3	Shape of KML file and digital map of CA area does not match	वनभूमि प्रस्ताव 1.00 है0 से कम होने के कारण क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का मानचित्र एवं के0एम0एल0 फाइल अपलोड नहीं की गई है।
4	Area mentioned in Village wise breakup at B-2.3 and Component wise breakup at B-2.4 are mismatch in figure in Form A, Part I.please rectify.	Village wise breakup at B-2.3 and Component wise breakup at B-2.4 are mismatch होने का कारण Component wise breakup के S.No. 4 में वन भूमि का क्षेत्रफल 0.01 अंकित करने पर software द्वारा स्वीकार्य नहीं किया जा रहा है। जिस कारण इसे 0.0099 भरा गया है। कृपया इसे 0.01 अंकित समझें अथवा यदि सम्भव है तो अपने स्तर से सही करने की कृपा करें।
5	User agency may review the employment generation detail at section E in Form A,Part I.	Employment generation संशोधित कर part I के section E में आनलाइन अपलोड कर दिया गया है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

भवदीय
3/5/19
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड,लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)
3-5-2019

पत्रांक– /1 सी0 (वन) तद्दिनांक

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग गोपेश्वर को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– सहायक अभियन्ता प्रथम अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0 गौचर को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड,लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)

JUSTIFICATION FOR FOREST LAND

परियोजना का नाम– मा0मु0घो0, सं0 1471/2015 मे राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग मे देवल से धानाई तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 0.910 हे0 वन पंचायत भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.030 हे0 कुल 0.940 हे0 वन पंचायत भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

यह मोटर मार्ग कर्णप्रयाग–नौटी–पैठाणी मोटर मार्ग के कि0मी0 28 प्रारम्भ हो कर ग्राम धानई तक जाता है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण से ग्राम धानई के ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा होगी वर्तमान में गांव की महिलाए पानी लकडी, चारा आदि लाने दूर जाती है मार्ग निर्माण के पश्चात उनका बहुमूल्य समय बचेगा साथ ही वे अपने घर और बच्चों को अधिक समय दें पाऐंगी। गॉव में चिकित्सालय तथा विद्यालय खुलने के ओर नए अवसर मिलेंगें। ग्रामवासी अपने उत्पादित फल, सब्जी, अनाज, आदि को बाजार तक बिना किसी कठिनाई के ले जा पायेंगे। साथ ही गाव विकास की ओर अग्रसर होगा तथा स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगें। चूँकि गॉव का रास्ता वन पंचायत से होकर जाता है तथा मोटर मार्ग हेतु तकनीकी दृष्टि से भी वन पंचायत की भूमि पर ही मोटर मार्ग का निर्माण सम्भव है। वन भूमि के अलावा अन्य किसी प्रकार की भूमि से मोटर मार्ग का निर्माण सम्भव नहीं है।

समरेखण–1 यह मोटर मार्ग कर्णप्रयाग–नौटी–पैठाणी मोटर मार्ग के कि0मी0 28 से प्रारम्भ होकर धानई गॉव तक 2.00 कि0मी0 लम्बाई मे जाता है। इस समरेखण पर क्षेत्रिय जनता की सहमति हैं तथा भू--गर्भ वेता द्वारा भी समरेखण को मार्ग निर्माण हेतु उपयुक्त पाया गया है। इस समरेखण में हेयरपिन बैण्डो की संख्या 4 हैं तथा 136 वृक्ष प्रभावित होते हैं।

समरेखण–2 यह मोटर मार्ग कर्णप्रयाग–नौटी–पैठाणी मोटर मार्ग के कि0मी0 28 से प्रारम्भ होकर धानई गॉव तक 2.00 कि0मी0 लम्बाई मे जाता है। इस समरेखण से क्षेत्रिय जानता भी सहमत नहीं हैं । इस समरेखण में हेयरपिन बैण्डो की संख्या 5 हैं तथा 200 वृक्ष प्रभावित हो रहे है।

उपरोक्त दोनों समरेखण के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक समरेखण उपलब्ध नही हैं। अतः मार्ग निर्माण हेतु संमरेखण न0–1 उपर्युक्त हैं।

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड,लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)

वन क्षेत्राधिकारी
धनपुर वन क्षेत्र गौचर

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड,लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।